अग्रतम
• इंडिया •

मत्स्य पालन

बिहार प्राकृतिक जल संसाधनों में काफी समृद्ध है एवं इनमें मत्स्य विकास की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ 80 हजार हेक्टेयर तालाब एवं पोखरे, 5 लाख हेक्टेयर से अधिक आर्द्र जल क्षेत्र, 25 हजार हेक्टेयर जलाशय, 9 हजार हेक्टेयर मन एवं करीब 3200 किलोमीटर सदाबहार नदियां हैं।

वर्ष 2011–12 में राज्य में मत्स्य पालन से संबंधित कुछ मुख्य आंकड़े निम्न प्रकार हैं :–

(i) मछली का वार्षिक उत्पादन एवं खपत क्रमशः 3.44 लाख टन एवं 5.20 लाख टन हुआ।
(ii) 34.25 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ।
(iii) 50 हजार सक्रिय मछुआरों का सामूहिक जीवन दुर्घटना बीमा हुआ।
(iv) 24 हजार मछुआरों को जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया।
(v) राज्य में कुल 82 मत्स्य बीज हैचरी कार्यरत रहे।

मत्स्य पालन के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित मुख्य योजनाएं चलाई जा रहीं हैं :–

(i) पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार : इसके लिए प्रति हेक्टेयर रु. 1.50 लाख की लागत ईकाई निर्धारित की गई है। लागत ईकाई का 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। शेष राशि लाभुक या तो बैंक से ऋण लेकर या अपनी लागत से करेंगे।

(ii) आर्द्र जल क्षेत्र में तालाब का निर्माण : एक हेक्टेयर के तालाब निर्माण का आकलित लागत 3,88,000 रु. है। इसका 60 प्रतिशत, अर्थात् 2,32,800 रु., अनुदान देय है। ऋण अथवा स्वलागत से लाभुकों द्वारा तालाब का निर्माण किए जाने पर अनुदान देय होगा। अनुदान के लिए वैसे किसान या किसानों के समूह भी योग्य होंगे जिनके पास 10 वर्षों के निबंधित डीड के वैद्य कागजात हों। उपलब्ध भूमि का क्षेत्रफल अधिक होने पर भी, अनुदान की राशि अधिकतम 5 हेक्टेयर भूमि तक ही सीमित रहेगी।

(iii) फिश फीड मिल की स्थापना : इसकी ईकाई लागत 12 लाख रु. अनुमानित है। इस राशि का 50 प्रतिशत, अर्थात् 6 लाख रु., अनुदान के रूप में देय होगा। शेष राशि लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन किया जाएगा।

(iv) मत्स्य हैचरी का निर्माण : हैचरी न्यूनतम 80 लाख फ्राई वार्षिक क्षमता एवं 3 एकड़ में निर्मित होगी। इसकी ईकाई लागत 15 लाख रु. निर्धारित है। इस राशि का 50 प्रतिशत, अर्थात् 7.5 लाख रु., अनुदान के रूप में देय होगा। शेष राशि लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन किया जाएगा।

(v) ट्यूबवेल एवं पम्प सेट का अधिष्ठापन : पूर्व से निर्मित या नवनिर्मित तालाब अथवा जीर्णोद्धार किए जाने वाले तालाबों के बांध पर ट्यूबवेल का अधिष्ठापन किया जाएगा। इस योजनान्तर्गत न्यूनतम जल क्षेत्र एक एकड़ होगा। प्रति ट्यूबवेल अधिकतम ईकाई लागत 50 हजार रुपए है। वास्तविक व्यय का 80 प्रतिशत राशि, अर्थात् 40 हजार रु.,

अनुदान के रूप में तथा शेष 20 प्रतिशत राशि, अर्थात् 10 हजार रुपए, लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन किया जाएगा।

ट्यूबवेल के साथ न्यूनतम 5 एच.पी. क्षमता के डीज़ल/बिजली पम्प सेट लगाने की योजना है। प्रति पम्प सेट ईकाई लागत अधिकतम 25 हजार रु. है। वास्तविक व्यय का 80 प्रतिशत राशि, अर्थात् 20 हजार रु., अनुदान के रूप में तथा शेष 20 प्रतिशत राशि, अर्थात् 5 हजार रुपए, लाभुक द्वारा स्वलागत से वहन किया जाएगा।

(vi) सोलर पम्प का अधिष्ठापन : MNRE, भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से ही अधिकतम 3 एच.पी. के डी.सी. पम्प सेट का अधिष्ठापन होगा, ताकि 30 प्रतिशत के अनुदान की राशि भारत सरकार से प्राप्त हो सके। प्रति सोलर पम्प अधिकतम 4.5 लाख रु. निर्धारित है। इस पर 90 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी तथा शेष 10 प्रतिशत राशि लाभुक द्वारा स्वलागत से वहन किया जाएगा। जिस लाभुक का चयन सोलर पम्प योजनान्तर्गत किया जाएगा, उन्हें पम्प सेट योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(vii) मत्स्य फसल बीमा योजना : बाढ़, सुखाड़, भूकंप, बीमारी, जहर एवं चोरी से मत्स्य उत्पादन में हुई क्षति की भरपाई के लिए मत्स्य फसल बीमा योजना ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लि0 के माध्यम से लागू किया गया है। एक हेक्टेयर जल क्षेत्र में 1 लाख रुपए तक का बीमा अनुमान्य है। इस पर देय 3200 रुपए वार्षिक प्रीमियम का 50 प्रतिशत, अर्थात् 1600 रुपए प्रति हेक्टेयर, लाभुक द्वारा वहन किया जाएगा एवं शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम की राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में देय होगा।

<u>इस योजना की अन्य मुख्य बातें</u> :

- 80 प्रतिशत से अधिक क्षति होने पर मत्स्य कृषकों को क्षतिपूर्ति अधिकतम रु. 1,50,000/– तक दी जा सकेगी।
- मत्स्य कृषक मछली पालन के क्रम में जीरा संचय की तिथि को मत्स्य फसल बीमा कवरेज ले सकते हैं। मत्स्य हैचरी मालिक भी इस योजना से लाभान्वित हो सकेंगे।
- प्रति लाभुक को अधिकतम 4 हेक्टेयर जलक्षेत्र पर मत्स्य फसल बीमा का अनुदान देय होगा। इससे अधिक जलक्षेत्र की बीमा पर प्रीमियम की पूरी राशि लाभुक को स्वयं वहन करनी होगी।
- किसी प्रकार की क्षति होने पर इसकी सूचना 12 घंटे के भीतर बीमा कंपनी को देना अनिवार्य होगा। जांचोपरांत, दावे का निष्पादन बीमा कंपनी एवं निदेशक मत्स्य के द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।
- बीमा कवरेज प्राप्त करने हेतु मत्स्य कृषकों को निम्नांकित दो अर्हताएं पूरा करना आवश्यक है–

(i) प्रत्येक मत्स्य कृषक एक पंजी संधारित करेंगे जिसमें संचयन की तिथि से मत्स्य पालन की सभी गतिविधियों को अंकित करेंगे और संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी उसका पाक्षिक निरीखण कर अपनी अभ्युक्ति उसमें दर्ज करेंगे, और

(ii) बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तालाब की तल्ली से बांध की ऊंचाई कम से कम 10 से 14 फीट रखना अनिवार्य होगा।